न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021)
कोर्ट केम्प ग्वालनाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री शैलेश सुराणा, आर.ए.एस (सचिव नगर सुधार न्यास बाड़मेर)

राजस्व वाद संख्या ...29... / 2021

वादी :–

1. रामप्रताप पुत्र शिवनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्वालनाडा तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुमेरराम पुत्र जगदीश जाति ब्रहाम्ण
2. बाबुसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपुत
   निवासीयान ग्वालनाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. उभय पक्षकरान

निर्णय

दिनांक :– 01.12.2021

वादी के वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 40 रकबा 87 बीघा सरहद मौजा ग्वालनाडा पटवार मण्डल ग्वालनाडा तहसील कल्याणपुर मे स्थित है, जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी रामप्रताप के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से धनाराम नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, दी बाडमेर सेन्ट्रल को –ऑपरेटिव बैक लि. की पास बुक, जीवन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड में वादी के पिता का सही नाम शिवनारायण दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में पिता का नाम गलत दर्ज होने से वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज "रामप्रताप के पिता का नाम धनाराम" के स्थान पर " शिवनारायण " सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी रामप्रताप के पिता का नाम धनाराम के स्थान पर शिवनारायण दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया ।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार कल्याणपुर से करवाई गई। उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन [illegible] के वादी द्वारा साक्ष्य मे प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात भारत [illegible] पहचान पत्र, आधार कार्ड, दी बाडमेर सेन्ट्रल को –ऑपरेटिव बैक लि. की पास बुक, जीवन प्रमाण [illegible], पेन कार्ड में रामप्रताप पु[illegible] शिवनारायण दर्ज है । इसके अतिरिक्त सरपंच ग्राम पंचायत ग्वालनाडा के प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार कल्याणपुर की जांच रिपोर्ट एवं मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि वादी के पिता का

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कैम्प ग्राम पंचायत ग्वालनाडा **प.स.** [illegible]